राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1689/2023

सरजुदीन (कर्मचारी आई.डी.– आरजेएनए199828007593)

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग,सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर, राज.।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.06.2023
आदेश की दिनांक : 14.07.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को सर्वप्रथम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन पंचायत समिति, डीडवाना, जिला नागौर में दिनांक 01.07.1985 को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। उक्त स्थान पर अपीलार्थी ने दिनांक 17.05.1986 तक अपनी सेवाएं दी। इसके पश्चात अपीलार्थी की सेवाएं समाप्त कर दी गई। इसके पश्चात दिनांक 31.07.2001 को आयोजित जिला परिषद नागौर की बैठक में अपीलार्थी का 4500–7000 रूपये के वेतनमान में शिक्षक के पद पर चयन किया गया तथा आदेश दिनांक 12.07.2002 के द्वारा अपीलार्थी को पंचायत समिति डीडवाना में पदस्थापित किया गया। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी की पूर्व की सेवा आदेश दिनांक 17.05.1986 के आधार अनुबंध पर थी तथा इसके पश्चात अपीलार्थी ने अपना पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क

है कि अपीलार्थी को दिनांक 12.07.2002 के बाद से नियमित वेतनमान का लाभ दिया गया है। अपीलार्थी को 09, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा अवधि का लाभ दिनांक 12.07.2002 से गणना करते हुए दिया गया है। उसके द्वारा अनुबंध के आधार पर किये गए कार्य को चयनित वेतनमान और अन्य सेवा लाभों के लिए नहीं गिना गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को चयनित वेतनमान और अन्य सेवाओं का लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से गणना करते हुए दिया जाये।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)